NATIONAL COMMISSION FOR SCCHEDULED TRIBES

As required please find enclosed herewith the tour report of the undersigned during the period 10-2-2012 to 17-2-2012.

27/7/2012

(BHERU LAL MEENA)
MEMBER

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

CHAIRPERSON:

Rameshwar Oraon
26/7

M (BLM)

26/7/2012

J.S.

Pl. put it on website

26/7

AD (Co-ord)

26.7.12

Unique Diary No. 4859 / 26.7.12
Section Diary No. 44 / Member (BLM) / 26.7.12

TOUR REPORT FOR THE PERIOD FROM 10-2-2012 TO 17-2-2012

I started my tour to Banswara, Dungarpur, Udaipur, and other places in the State of Rajasthan on 10-2-2012.

On 11-2-2012, I Inaugurate 37th Akhil Bhartiya Mohan Kumar Manglam Samriti H:ind Zink Football Tournament in the gathering of 25,000 Tribals at Javar Stadium, Javar Mines, Udaipur as per invitation of the Tournament Committee. There was a Enthusiasam among the Tribal for their participation in the Sports activities. I wished participants of the Tournament for their grand success.

On 13-2-2012, I visited Aaspur, District Dungarpur for holding meeting with Panchayat Simittee, Aaspur. I heard the representatives of the Panchayat Simittee about the various problems of Tribal Development in the matter of Water, Electricity, Roads, Education, Health etc., I gave guidlines and some suggestions to the Panchayat Simittee to take appropriate steps for the Tribal Development. I also assured to extend my full support and cooperation in the achievements of their goals.

On 14-2012, I held meeting with Tribal Leaders and delegates at Javar Mines at Udaipur and discussed various local issues with Leaders and Delegates.

On 15-2-2012, I visited Banawara and held meeting with Tribal Leaders and Delegates. The meeting took place at the District Conference Hall and District Level officers and District Collector, Banswara, attended the meeting. I, presided over the meeting and minutes of the same presented by District Collector Banaswara vide reference No. F-

12/IV/2012

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

910/Gen/M.B/2012/141 dated 16/2/12 is enclosed as **Annexure A.**

On completion of my tour I came back to Delhi on 17-2-2012. The report is submitted for your kind perusal and necessary action.

It is also requested that the report may kindly be taken on the site of NCST.

11/7/2012

(Bheru Lal Meena)
Member
7-7-2012

CHAIRMAN:

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

श्री भैरूलाल मीणा, माननीय सदस्य, अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 15–2–2012 प्रातः 11.00 बजे जिला परिषद् सभाकक्ष, बांसवाड़ा में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 15–2–2012 को श्री भैरूलाल मीणा, माननीय सदस्य, अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में जिला परिषद् सभागार में जन प्रतिनिधियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का विवरण परिशिष्ठ–''क" पर संलग्न है।

सर्वप्रथम जिला कलक्टर ने माननीय सदस्य के बांसवाड़ा प्रवास एवं उपस्थित विधायक महोदय, जिला प्रमुख महोदया, प्रधानगण, जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्यों का स्वागत किया एवं अपने उद्‌बोधन में कहा कि जनजाति वर्ग के हितों की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन सभी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सही ढंग से किया जा रहा है। जनजाति आयोग द्वारा जिले में संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा किया जाना एक सार्थक पहल है। इसके फलस्वरूप माननीय सदस्य द्वारा जिस प्रकार के दिशा–निर्देश प्राप्त होंगे, उसकी अनुपालना सुनिश्चित कराई जावेगी।

माननीय सदस्य ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि राज्य एवं केन्द्र सरकार की जनजाति वर्ग के उत्थान की विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जावे एवं यह सुनिश्चित हो कि किसी प्रकार की कमी न रहे। अनुसूचित जनजाति आयोग को सम्पूर्ण देश के विभिन्न क्षेत्रों में जनजाति वर्ग की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा का अधिकार है। विभागीय अधिकारी निरपक्ष एवं ईमानदारी से कार्य करें एवं जन प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कमी अथवा कठिनाई हो, तो रोप व्यक्त न कर इसके निराकरण की पहल करें एवं सुझाव प्रस्तुत करें, उनके द्वारा गत बैठक में 56 बिन्दुओं की प्रश्नावली दी गई थी, उसकी पालना निश्चित करने को कहा।

उन्होने कहा कि आयोग द्वारा समय–समय पर जनजाति क्षेत्रों का प्रवास कर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार एवं माननीय राष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत की जाती है, उन्होने यह भी कहा कि 60 वर्ष के बाद भी शिक्षा के स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। आयोग के सदस्यों ने देश के बारह राज्यों का दौरा किया एवं शैक्षणिक स्तर एवं गुणवत्ता की समीक्षा करने पर पाया कि सीक्किम राज्य इस क्षैत्र में अच्छा पाया गया है, उन्होने योजनाओं के क्रियान्वयन में बिचोलियों की भागीदारी समाप्त करने की मंशा व्यक्त की, जनजाति वर्ग अपना अधिकार मानकर हक प्राप्त करें।

तत्पश्चात् विभागवार निम्न प्रकार समीक्षा की गई :–

1. **शिक्षा विभाग :–** माननीय सदस्य द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारी से जिले में गत वर्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं की संख्या एवं प्रतिशत की जानकारी चाही एवं निर्देश दिये कि परीक्षा में सम्मिलित सामान्य वर्ग एवं जनजाति वर्ग की पृथक–पृथक तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें कि कुल प्रतिशत में सामान्य व जनजाति वर्ग का क्या प्रतिशत रहा है, 6 से 14 वर्ष के छात्र स्कूल जाते है अथवा नहीं, उसकी रिपोर्ट दी जावे। शिक्षा विभाग के अधिकारी छात्रों की स्कूल में उपस्थिति की सूचना शत–प्रतिशत देते है, परन्तु भौतिक सत्यापन पर मौके पर बताये गये छात्र अनुपस्थित पाये जाते है।

सर्व शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिले में सर्वे के दौरान 42477 छात्र–छात्राऐं स्कूल में नहीं जाना पाये गये। इसमें से 17395 ड्रॉप आउट हो गये तथा 19600 को पुनः प्रवेश दिलाया गया। जिले में कक्षा एक से आठवीं तक 3 लाख छात्र–छात्राऐं स्कूलों में अध्ययनरत है।

जिला कलक्टर ने बताया कि 15 प्रतिशत छात्र स्कूल नहीं जाते है।

माननीय विधायक श्री अर्जुन बामनिया ने निर्देश दिये कि स्कूलों में अध्ययनरत जनजाति वर्ग के छात्रों की संख्या उपलब्ध करावें। सामान्य एवं जनजाति वर्ग के छात्रों की श्रेणीवार सूचना पृथक–पृथक दी जावें।

माननीय सदस्य ने स्कूलों में छात्रों की शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

माननीय विधायक ने बोर्ड परीक्षा परिणाम का श्रेणीवार विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

जिला प्रमुख महोदया ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास तथ्यात्मक सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर रोष प्रकट किया।

माननीय सदस्य ने बैठक में उपस्थित प्रधानों से उनके क्षेत्रों में बोर्ड परीक्षा परिणामों की जानकारी चाही। इस पर प्रधान बागीदौरा ने बताया कि उनके क्षेत्र में सेकेण्डरी बोर्ड का परीक्षा परिणाम गत वर्ष 56 प्रतिशत एवं सीनियर हायर सैकण्डरी का परिणाम 90 प्रतिशत रहा है।

प्रधान, पंचायत समिति, कुशलगढ़ ने उनके क्षैत्र में स्थित चुड़ादा आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों का गत वर्ष बोर्ड परिणाम 26 प्रतिशत रहने पर खेद व्यक्त किया। माननीय विधायक ने आवासीय विद्यालयों में सभी सुविधाऐं उपलब्ध होने पर भी परीक्षा परिणाम न्यून रहना खेदजनक बताया।

परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ने बताया कि चुडादा आवासीय विद्यालय में अध्यापकों के 28 पद स्वीकृत है, 17 पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति की गई है एवं इस विद्यालय में 350 छात्र अध्ययनरत हैं। प्रधान, पंचायत समिति, कुशलगढ़ ने आवासीय विद्यालय में स्थाई रूप से अध्यापकों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया, शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जावे।

माननीय सदस्य ने परियोजना अधिकारी, जनजाति विकास विभाग को निर्देश दिये कि आवासीय विद्यालय में प्रवेश चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाने के बाद भी परिणाम न्यून रहा है। परिणाम उन्नयन हेतु गम्भीरता से कार्यवाही की जावे, उन्होने जिले में अध्यापकों की आवश्यकता के बारे में पुछा।

अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) ने बताया कि जिले में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 10766 है एवं 8766 अध्यापक कार्यरत है। कक्षा एक से आठवीं तक अध्यापन हेतु 1400 पदों की आवश्यकता है, उन्होने यह भी बताया कि रिक्त पदों पर 800 विद्यार्थी मित्र प्रतिमाह 3000/– रूपयें मानदेय पर लगाये गये है। प्रधान, पंचायत समिति, कुशलगढ़ ने बताया कि तलवाड़ा पंचायत समिति में आवश्यकता से अधिक अध्यापक कार्यरत है एवं समानीकरण व्यवस्था से अध्यापकों की क्षैत्रवार विसंगति उत्पन्न हुई है।

माननीय सदस्य ने अध्यापकों के रिक्त पदों एवं शिक्षा के गिरते स्तर पर चिंता प्रकट की एवं माध्यमिक शिक्षा में रिक्त पदों की सूचना चाही, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) ने बताया कि जिले में सीनियर सेकेण्डरी स्कूलों में 80 प्राचार्य के पदों के विपरित 12 विद्यालयों में पद रिक्त है, सभी स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। सेकेण्डरी विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के 268 पदों में से 138 रिक्त है। इसी प्रकार प्राध्यापकों के 542 पदों में से 253 पद रिक्त है। द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के 1697 पदों में से 864 पद रिक्त है, जो प्रमुख विषयों यथा–गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी से सम्बद्ध है।

श्री पारगी, जिला शिक्षा अधिकारी ने सेकेण्डरी एवं सीनियर सेकेण्डरी बोर्ड का गत वर्ष का परीक्षा परिणाम प्रस्तुत कर बताया कि 15763 छात्रों ने सेकेण्डरी बोर्ड की परीक्षा दी, इसमें से 6872 छात्र उत्तीर्ण रहे। इस प्रकार जनजाति वर्ग का परीक्षा परिणाम 43.5 प्रतिशत रहा है। कुल परिणाम 46 प्रतिशत रहा था, इसी प्रकार सीनियर हायर सेकेण्डरी में जनजाति वर्ग का परिणाम 84 प्रतिशत रहा है।

2. **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग :–** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विडियो कॉफ्रेसिंग में व्यस्त होने से बैठक में अनुपस्थित। माननीय सदस्य द्वारा जिले के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक एवं दवाईयों की पर्याप्त उपलब्धता के बारे में जन प्रतिनिधियों से पुछा। उपस्थित सभी जन प्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सक एवं दवाओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता बताई एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना का लाभ आमजन को प्राप्त होने तथा किसी प्रकार की शिकायत नहीं होना बताया।

3. **जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग :–** अधिशासी अभियन्ता ने पेयजल योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुसार डूंगरा, कुशलगढ़, बावडीपाडा में पेयजल योजनाओं की निविदाऐं की जाकर कार्य प्रगति पर होना बताया। फ्लोराईड प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे किया जाकर डी–फ्लोरीशन यूनिट लगाये जा रहे हैं। जिले के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं विद्यालयों में हेण्डपम्प लगाने का कार्य भी हो रहा है। वर्षा जल संरक्षण पर भी विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

प्रधान, पंचायत समिति, कुशलगढ ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या होने की जानकारी दी एवं बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर हैण्डपम्प मिस्त्री नहीं होने से हैण्डपम्प दूरस्ती का कार्य नहीं हो पाता है। अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मिस्त्री एवं एक हेल्पर लगाया जावे।

जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में लगभग 20000 हैण्डपंप है तथा हैण्डपंप मिस्त्री के अतिरिक्त स्पेयर पार्ट्स का भी अभाव है, दो–तीन पंचायतों पर एक मिस्त्री है। माननीय सदस्य द्वारा समस्या के समाधान का आश्वासन दिया।

4. <u>राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी :–</u> मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ने बताया कि जन प्रतिनिधियों ने नरेगा के कार्यों पर सन्तोष व्यक्त किया एवं प्रधान आनन्दपूरी ने 100 दिवस रोजगार को बडाकर 150 दिवस करने का अनुरोध किया, इस पर माननीय सदस्य ने कहा कि प्रति व्यक्ति 100 दिवस रोजगार पूरा नहीं हो पा रहा है। अतः 150 दिवस करना सम्भव नहीं है।

प्रधान तलवाड़ा ने नरेगा निर्माण कार्यो हेतु सामग्री उपलब्ध होने में कठिनाई होना बताया, माननीय सदस्य ने निर्देश दिये कि निर्माण सामग्री की सहज उपलब्धता की समुचित व्यवस्था कराई जावे।

5. <u>वन विभाग :–</u> माननीय सदस्य ने वर्ष 2005 से पूर्व वन भूमि में काबिज लोगों को भूमि का नियमन कर पट्टे देने की जानकारी चाही। जिला कलक्टर ने बताया कि अब तक 11555 पट्टे जारी किये जा चुके है। 100 मामलों में संबंधित उपखण्ड अधिकारी से पुनः जांच कर रिपोर्ट भेजने अग्रेषित किये है, उन्होने यह भी बताया कि मौके पर कब्जे की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर पट्टे जारी किये जावेंगे। वन विभाग ने 200 मामलों में अपील दायर की है, जिसमें 30 का निस्तारण किया जा चुका है एवं शेष का शीघ्र निस्तारण कर दिया जावेगा। प्रधान, पंचायत समिति, कुशलगढ़ द्वारा पंचायत स्तरीय समिति द्वारा पात्र व्यक्तियों को पट्टे देने में अनियमितता की शिकायत की, उन्होने भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सज्जनगढ़ के 22 गांवों की पेमाईश गलत ढंग से करने एवं काश्तकारों की समस्या होना बताया। जिला कलक्टर ने ऐसे मामलों में धारा 136 के अन्तर्गत दावा लगाने की सलाह दी। सामान्य वर्ग को आवंटित भूमि पर जनजाति वर्ग के व्यक्ति काबिज होने तथा राजस्व अभिलेख में सामान्य वर्ग का इन्द्राज होने की स्थिति पर क्या किया जाकर जनजाति वर्ग कराया जावे। जिला कलक्टर ने धारा 88 में वाद दायर कराने अवगत कराया।

6. <u>अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. :–</u> अधिशासी अभियन्ता वीड़ियों कॉफ्रेसिंग में व्यस्त होने से बैठक में उपस्थित नहीं। प्रतिनिधि ने बताया कि किसानों को प्रतिदिन 6 घण्टे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। रांजीव गांधी विद्युतिकरण योजनान्तर्गत 446 गांवों को विद्युतिकृत करने का लक्ष्य है, जिसके विपरित 313 गांवों में 49081 विद्युत कनेक्शन दिये जा चुके है। प्रधान, पंचायत समिति, बागीदौरा ने पूर्व में बजट के अभाव में योजना बन्द होने की जानकारी दी। इस पर जिला कलक्टर ने बताया कि विद्युत निगम के अधिकारियों द्वारा इस योजना के तहत निर्धारित मापदण्ड अनुसार विद्युतिकरण काकार्य करने 80 करोड़ रूपये की योजना बनाकर भेजी थी, जबकि सर्वे के दौरान जिले की भौगोलिक स्थिति अनुसार उक्त बजट राशि 130 करोड की हो गई। अतः निगम द्वारा पूरक योजना बनाई गई है, स्वीकृत होने पर लक्ष्य प्राप्त कर लिया जावेगा। वर्तमान में जिस एजेन्सी को कार्य दिया गया है, उसके द्वारा छोटी सरवन एवं आनन्दपूरी में कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इस योजना में जिले के कुल 74400 विद्युत कनेक्शन प्रदाय करने का लक्ष्य है।

प्रधान, पंचायत समिति, बागीदौरा द्वारा एक बत्ती योजना में दिये गये कनेक्शन काटने एवं पुनः कनेक्शन जोड़ने के बारे में अवगत कराया। निगम के प्रतिनिधि ने बताया कि बकाया राशि जमा कराने पर पुनः विद्युत संबंध बहाल कर दिया जावेगा एवं यह भी बताया कि निगम द्वारा क्षैत्रवासियों की सुविधा हेतु बागीदौरा मुख्यालय पर अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय खोला जा रहा है।

7. <u>पुलिस विभाग :–</u> माननीय सदस्य द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन मामलों की जानकारी चाही गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वर्तमान में 34 मामले लम्बित है, 15 प्रकरणों में चालान किया जा चुका है एवं 3 प्रकरण लम्बित है। सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बताया कि 9 प्रकरणों में से 4 में क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराई है एवं 5 प्रकरण लम्बित है, उन्होने यह भी बताया कि जिला स्तर पर गठित समिति की नियमित बैठक आयोजित कर प्रकरणों की समीक्षा की जाती है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिला विधिक सहायता समिति के माध्यम से पीड़ित को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

पुलिस अधीक्षक ने मोताणा प्रथा समाप्त करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 357 (क) के द्वारा पीड़ित प्रभावित को नियत राशि देने का प्रावधान होने की जानकारी दी, उन्होने जन प्रतिनिधियों का आवहान किया कि मोताणा प्रथा की समाप्ति में उनका सहयोग आवश्यक है, लाश की सोदेबाजी करना उचित नहीं है। इस प्रथा की समाप्ति हेतु विभिन्न वर्गो के प्रभावशाली व्यक्तियों, स्वयंसेवी संगठनों आदि का भी सहयोग लिया जावेगा। साथ ही मोताणा प्रथा के सम्बन्ध में उनके द्वारा एक लघु वृत्तचित्र का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें इस प्रथा की बुराईयों का प्रदर्शन किया गया है।

माननीय सदस्य ने अन्त में जिला कलक्टर से अनुरोध किया कि जिले की जिन ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवक के पद रिक्त है एवं निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी पंचायतों में वैकल्पिक व्यवस्था कर निर्माण प्रारम्भ करावें। शैक्षिक गुणवत्ता में समुचित सुधार करें।

अन्त में जिला कलक्टर ने सभी उपस्थित जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का आभार प्रकट किया एवं बैठक समाप्त हुई।

जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

कार्यालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक :– एफ 4 (1) सामा/मं.भ्र./2012/141 दिनांक :– 16–2–2012

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, माननीय सदस्य, अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
2. सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर।
3. जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा।
4. मण्डल वन अधिकारी, बांसवाडा।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बांसवाड़ा।

6. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बांसवाड़ा।
7. अधीक्षण अभियन्ता, माही परियोजना, बांसवाड़ा।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि. बांसवाड़ा।
9. अधीक्षण अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. बांसवाड़ा।
10. अधिशासी अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. बांसवाड़ा।
11. अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, बांसवाड़ा।
12. अधिशासी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, बांसवाड़ा।
13. जिला शिक्षा अधिकारी (मा./प्रा.शि.) बांसवाड़ा।
14. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, बांसवाड़ा।
15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा।
16. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाड़ा।
17. सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बांसवाड़ा।
18. .....
19. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बांसवाड़ा।

जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

डॉ0 दयाराम परमार, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)
यात्रा कार्यक्रम – जिला बांसवाड़ा

माननीय राज्य मंत्री महोदय का बांसवाड़ा जिले में यात्रा कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

दिनांक	समय	स्थान
21–2–2012 (मंगलवार)	**11.00 A.M.**	खैरवाडा से बांसवाड़ा हेतु प्रस्थान। (राजकीय कार द्वारा)
	2.00 P.M.	बांसवाड़ा पहुँच।
	3.00 P.M.	जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ फ्लेगशीप योजनाओं की समीक्षा।
	-	रात्रि विश्राम, माही रेस्ट हाउस, बांसवाड़ा
22–2–2012 (बुधवार)	**11.00 A.M.**	1) जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई 2) जन सुनवाई उपरान्त माही रेस्ट हाउस, बांसवाड़ा में मीडिया एवं जन प्रतिनिधियों से चर्चा एवं रात्रि विश्राम, माही रेस्ट हाउस, बांसवाड़ा
23–2–2012 (गुरूवार)	-	शिलान्यास/उद्घाटन हेतु आरक्षित
	5.00 P.M.	बांसवाड़ा से खैरवाडा हेतु प्रस्थान। (राजकीय कार द्वारा)

- माननीय राज्य मंत्री महोदय की यात्रा में सामान्य, प्रोटोकॉल एवं सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाऐं सुनिश्चित कराई जाए।
- तहसीलदार, बांसवाड़ा माननीय राज्य मंत्री महोदय के साथ ड्यूटी एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु उत्तरदायी होंगे।
- उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा अपने क्षेत्र में प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में रहेंगे।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का वाहन संख्या **RJ03-C-1380** (जिप्सी) अधिग्रहित कर पुलिस लाईन को सुरक्षा एस्कोर्ट हेतु दिनांक 20–2–2012 को सायं 5.00 बजे से आवंटित की जाती है।

जिला कलक्टर
बांसवाडा

कार्यालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : एफ 4 (1) सामा0/मंत्री भ्रमण/2012/139 दिनांक :– 17–2–2012

1 जिला पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा।
2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बांसवाडा।
3 अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बांसवाड़ा।
4 उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा।
5 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा।
6 जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक/प्रारम्भिक) बांसवाडा।
7 तहसीलदार, बांसवाड़ा।
8. प्राचार्य, श्री गोविन्द गुरू राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बांसवाडा।
9. प्राचार्य, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय, बांसवाडा।
10. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी बांसवाडा।
11. प्रभारी अधिकारी पूल अनुभाग कार्यालय हाजा।
12. नियन्त्रण कक्ष, कार्यालय हाजा।

1 निजी सचिव, माननीय सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
2 निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3 निजी सहायक, श्री नानालाल निनामा, माननीय संसदीय सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4 सांसद महोदय, बांसवाडा–डूगरपुर संसदीय क्षेत्र
5 विधायक महोदय, बांसवाड़ा/गढी/कुशलगढ।
6 जिला प्रमुख महोदया, बासवाडा।
7 जिला अध्यक्ष/महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी बासवाडा।

जिला कलक्टर
बांसवाडा